भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17AB 509248

...-वाराणसी
492 2011 लेखपत्र
संख्या 8651 2010 की
18 ।
पन्नो में जारी की ...

पढ़ने वाला-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्रीमती ... पाण्डेय
(नि० लि०)

सत्य प्रतिलिपि

उप नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH T 309231

विक्रय विलेख

1. भूमि का प्रकार : आवासीय
2. परगना / तहसील : देहात अमानत / सदर
3. ग्राम : करौंदी, जिला वाराणसी।
4. सम्पत्ति का विवरण : आराजी नम्बर मि0 296.
5. मापन की इकाई : वर्गमीटर
6. आराजी का क्षेत्रफल : 110.23 वर्गमीटर
7. सड़क की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) : गैर चिन्हित फाजोनी सड़क
8. अन्य विवरण (9मीटर रोड/कार्नर) : लागू नहीं
9. आराजी का प्रकार (प्लाट/फ्लैट/मकान/दुकान) : लागू नहीं
10. आराजी का कुल क्षेत्रफल : 110.23 वर्गमीटर
11. कुल आच्छादित क्षेत्रफल : लागू नहीं

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि0लि0)
श्रीमती [illegible] पाण्डेय (नि0लि0)
उ0नि0-II वाराणसी

चन्द्रमौली उपाध्याय

विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि0 लि0
कृष्ण मुरारी तिवारी
दे0 द0 लि0
उ0नि0 II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309230

(2)

12. स्थिति (पि.विशिष्ट/सेमीपि) : लागू नही
13. पेड़ो का मूल्यांकन : कुछ नही
14. बोरिंग/कुआं अन्य : कुछ नही
15. निर्मित क्षेत्रफल : लागू नही
16. निर्माण का वर्ष : लागू नही
17. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है : नही
18. प्रतिफल धनराशि : 3,00,000/-
19. सरकारी मालियत : 5,74,000/-
20. देये स्टाम्प : 40,200/-

प्रथम पक्ष की संख्या-(6)

द्वितीय पक्ष की संख्या - (1)

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
सि० लि०
श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० न० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

(3)

T 309229

चौहद्दी :-
पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक अंजनी बिल्डर्स बय हो रही है।
पश्चिम : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक श्रीमती उमा डिडवानियां बय हो रही है।
उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।
दक्षिण : सड़क कालोनी।

नागेश उपाध्याय, रमेश उपाध्याय, चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय, विश्वमोहन उपाध्याय, राजेन्द्र कुमार उपाध्याय पुत्रगण स्वर्गीय राजमोहन उपाध्याय सभी निवासीगण मौजा बनौली, परगना चैनपुर, जिला आरा, (शाहाबाद) बिहार वर्तमान निवासीगण मकान नम्बर बी-33/11 ए-5क, नरियां, शहर वाराणसी।

.... प्रथम पक्ष/विक्रेतागण

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

V. M. Upadhyay

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309265

व

शशांक केजरीवाल पुत्र श्री गोविन्द केजरीवाल निवासी बी-28/7, मानस मन्दिर के पास, दुर्गाकुण्ड, शहर वाराणसी।

.... द्वितीय पक्ष/क्रेता

विदित हो कि प्रथम पक्ष के पिता ज्योतिषाचार्य पंडित राजमोहन उपाध्याय ने मौजा करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी में स्थित आराजी नम्बर 296, रकबा 1 एकड़ 4 डिसमिल जरिये रजिस्ट्रीशुदा बैनामा मोरखा 10-02-1964 नविस्ता नादेश्वरी कुंवर वगैरह मौसूमा खुद बएवज कीमत कामिल क्रय कर हासिल किया है बैनामा मजकूर का इन्दराज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, वाराणसी में बही नम्बर 1, जिल्द 3784 के पृष्ठ 308/312 पर बनम्बर 878 दिनांक 17-02-1964 को हुई है। तारीख बैनामा मजकूर से पिता प्रथम पक्ष आराजी मजकूर पर बहैसियत तनहां मालिक भूमिधर काबिज दखील रहकर हर फेल मालिकाना ताहयात खुद अमल में लाते रहे और उनका नाम भी कागजात माल

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajendra

V. M. Upadhyay

Rajendra

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

3 DEC 2010

INDIA

प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309266

खतौनी में बहैसियत मालिक भूमिधर बमुजिब बैनामा मजकूर मुन्दर्ज रही। पिता मजकूर के स्वर्गवास के पश्चात् हम प्रथम पक्ष बवजह होने कानूनी वारिसान व पुत्रगण अपने पिता की समस्त चल अचल जायदाद के मालिकान व काबिज दखील हुए जुज रकबा आराजी मजकूर पूर्व में ही मुन्तकिल हो चुका है। आराजी मजकूर का रकबा 0.147 हेक्टेयर हम प्रथम पक्ष के नाम तनहा बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर कागजात माल खतौनी में दर्ज है जिस पर हम प्रथम पक्ष बहैसियत मालिकान काबिज दखील रहकर हर पोल मालिकाना अमल में लाते चले आ रहे हैं और जो हर नुक्श मिल्कियत से पाक साफ व बेखलिश है और जिसके बावत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को कुल हुम हक मालिकाना मय हकूक इन्तकालात हर एकसाम हासिल है जो चाहे सो करे सरेदस्त हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को रुपयों की असद जरूरत वास्ते खर्च खानगी व दीगर कार जरूरियात के दरपेश है और बिना आराजी उपरोक्त को विक्रय किये रुपयों का मिलना व जरूरियात वाला का रफा होना नामुमकिन है लेहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने उपरोक्त आराजी हसब तफसील जैल को विक्रय कर अपने जरूरियात मजकूर को रफा करना वाजिब व मुनासिब समझा। बय की बातचीत आम लोगों में चलायी जिस पर द्वितीय पक्ष/क्रेता श्रीमती उमा डिडवानियां पत्नी श्री अनुज कुमार डिडवानियां निवासिनी लेन नम्बर 5, मकान नम्बर 44-ए, रविन्द्रपुरी कालोनी, शहर वाराणसी प्रथम पक्ष की आराजियात मजकूर का जुज हसब तफसील जैल बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया)

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.H. Upadhyay

V.H. Upadhyay

Rajendra

Rajendra

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

- 3 DEC 2010

प्रदेश UTTAR PRADESH

T 309267

(6)

खरीदने को आमादा व तैयार है जो कीमत बलिहाज स्थिति आराजी व मौजूदा बाजार भाव के उचित व मुनासिब है। तथा इतना या इससे अधिक कीमत देने को कोई दूसरा शख्स तैयार नहीं है, अतः प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आराजी उपरोक्त हसब तफसील जैल को द्वितीय पक्ष/क्रेता उपरोक्त के हक में मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) में विक्रय करने की बातचीत तय व पक्का कर लिया है। प्रथम पक्ष द्वारा आराजी मजकूर के बाबत बहक द्वितीय पक्ष बैनामा तहरीर व रजिस्ट्री करने में कोई विधिक अड़चन नहीं है। द्वितीय पक्ष/क्रेता अपने हक में बैनामा तहरीर कराने को प्रस्तुत है लिहाजा प्रथम पक्ष/विक्रेतागण आराजी हसब तफसील जैल का विक्रय पत्र बएवज कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) कि निस्फ जिसका 1,50,000/- रुपया होता है बहक व बदस्त द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर अपने स्वस्थ मन से प्रसन्नचित्त होकर बिना किसी जोर या दबाव के तहरीर व तकमील कर अपने को व अपने वारिसान व कायम मुकामानों को निम्नलिखित शर्तों से आबद्ध करते व होते हैं :-

1. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल तयशुदा कीमत मुबलिग 3,00,000/- (तीन लाख रुपया) नगद कब्ल तहरीर बैनामा हाजा द्वितीय पक्ष/क्रेता से प्राप्त कर लिया है जिसकी पावती आज बरवक्त रजिस्ट्री बैनामा हाजा रुबरु सब रजिस्ट्रार साहब, वाराणसी स्वीकार करते हैं। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता के जिम्मे बाबत जर समन बैनामा हाजा हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का एक भी पैसा बाकी नहीं रहा यदि

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

V.M. Upadhyay

वीरेन्द्र प्रताप सिंह

वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (7) T 309200

इसके विपरीत प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कोई उज्र या ऐतराज बाबत अदायगी करे समक्ष ईकाला प्रस्तुत करते है तो वह बमुकाबिले बयनामा हाजा बातिल व नाकाबिल मुलाहिजा होगा।

2. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने आज की तिथि में विक्रयशुदा आराजी पर से अपना वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल हटाकर वास्तविक व मालिकाना कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष/क्रेता का करा दिया है जो-जो हक व अख्तियारात हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को मुतालिक आराजी विक्रयशुदा हासिल है वे सभी आज की तिथि से बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर कताई तौर से क्रय व मुन्तकिल हो गये। अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर बतौर तनहां मालिक काबिज व दखील रहकर उसका पूर्ण रूपेण उपयोग व उपभोग अपने मनमाफिक करें अथवा जो चाहे सो करें इसमें प्रथम पक्ष/विक्रेतागण को न कोई एतराज है न आईन्दा होगा।

3. यह कि अब द्वितीय पक्ष/क्रेता को हक हासिल है कि विक्रयशुदा आराजी पर से माल व अन्य सरकारी कागजातों से प्रथम पक्ष/विक्रेतागण का नाम खारिज कराकर उस पर अपना नाम बतौर तनहां मालिका के दर्ज करवा लेवें व मालगुजारी वगैरह जो भी आयद हो उसे जमाकर अपने नाम से रसीद हासिल किया करें। आज के पहले के देयों के अदायगी की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की होगी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.H. Upadhyay

V.H. Upadhyay

प्रताप सिंह
मि० लि०
कृष्ण मुरारी तिवारी
वरिष्ठ लिपि०
उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (8) T 309199

4. यह कि विक्रयशुदा आराजी हर तरह के बारवेन बुक्स मिल्कियत आदि से पाक साफ है, कहीं किसी तरह से रेहन बंधक, बय, सट्टा, कुर्की, जमानत, मुकदमेबाजी, अवाप्ति आदि से प्रभावित नहीं है। प्रथम पक्ष/विक्रेतागण के स्वामित्वाधिकार में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। गर खिलाफ इसके आराजी विक्रयशुदा में किसी प्रकार का कोई नुक्श पाया जावे जिसकी वजह से या बवजह फेल ख्वाह तर्क फेल हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण कुल ख्वाह जुज आराजी विक्रयशुदा पर से द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर का कब्जा दखल निकल जाये या कोई बार मुतालिक आराजी मजकूर अदा करना पड़े तो बहर सूरत द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर को हक हासिल है व होगा कि कुल जरे समन बैनामा मय हर्जा खर्चा ख्वाह जिस कदर नुकसानी हो मय सूद दो रुपया सैकड़ा माहवारी हम प्रथम पक्ष/विक्रेतागण की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे।

5. यह कि विक्रयशुदा आराजी आवासीय है और आवासीय प्रयोजन हेतु क्रय की जा रही है। विक्रयशुदा आराजी का रजिस्टर्ड सट्टा किसी पक्ष के हक में नहीं हुआ है। विक्रयशुदा भूमि बशक्ल खुली आवासीय भूमि है जिस पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता हरिमोहन उपाध्याय ने किता मुख्तारनामा आम दिनांकित 28-06-2010 बहक सगे भ्राता प्रथम पक्ष के मुकिर/विक्रेता चन्द्रमौलि उपाध्याय तहरीर कर पंजीकृत कराया

श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि०लि०
श्री कृष्ण मुरारी लिपिक
दे० बे० लि०

उ० निबं० II
वाराणसी

-10-

Chief Treasury Officer
VARANASI
30 NOV 2010

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

[9]

AL 520264

है जिसका इन्द्राज दफ्तर सब रजिस्ट्रार, द्वितीय, वाराणसी में पुस्तक संख्या 4, खण्ड 81 के पृष्ठ 239 लगायत 248 पर नम्बर 215 दिनांक 28-06-2010 को हुई है जो अद्यतन कायम व प्रभावी है और मुकिर चन्द्रमौलि उपाध्याय खुद व बहैसियत मुख्तारेआम हरिमोहन उपाध्याय बैनामा हाजा तहरीर कर पंजीकृत करा रहा है।

7. यह कि विक्रयशुदा आराजी नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 की धारा 10(3) व 10(5) के किसी प्राविधानों से प्रभावित नहीं है। विक्रयशुदा आराजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की नहीं है। पक्षगण भारतीय नागरिक है व उनके नाम व पते अंकित बैनामा हाजा वास्तविक व सही है।

8. यह कि विक्रयशुदा जायदाद सामान्य पक्की सड़क पर वाका है और जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित किसी मार्ग पर स्थित नहीं है तथा नगर निगम वाराणसी सीमा के बाहर देहात के अविकसित आवासीय क्षेत्र में स्थित है।

9. यह कि सरकारी दर से विक्रीत आराजी में भूमि की कीमत रु0 5200/- प्रति वर्गमीटर की दर से 110.23 वर्गमीटर का रु0 5,73,196/- रुपया होती है जिसके पूर्णांक मु0 5,74,000/- रुपये पर स्टाम्प नियमानुसार मु0 40,200/- रुपये का अदा किया जा रहा है।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

V. M. Upadhyay

Rajendra

Rajendra

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
वै० क० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Chief Treasury Office VARANASI 30 NOV 2010

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AL 520263

10. यह कि प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने कुल मजमून बैनामा हाजा को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर इसको विधिक प्रभाव से भली-भांति अवगत होकर बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता मजकूर तहरीर किया है जिसकी पूरी पाबन्दी प्रथम पक्ष/विक्रेतागण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर है व रहेगी।

इस वास्ते प्रथम पक्ष/विक्रेतागण ने यह तहरीर बतौर बयनामा लाकलामी के बहक द्वितीय पक्ष/क्रेता लिख दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

<u>विवरण आराजी विक्रयशुदा</u>

आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1186.07 वर्गफीट यानि 110.23 वर्गमीटर वाका मौजा -- करौंदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसे संलग्न नक्शे में लाल रंग की तिरछी लकीरों से दर्शाया गया है व जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित हैं :-

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajesh

V. M. Upadhyay

Rajendra

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

10AB 848446

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

पूरब : जुज आराजी मजकूर जो आज बहक
अंजनी रियलटर्स बय हो रही है।

पश्चिम: जुज आराजी मजकूर जो आज बहक
श्रीमती उमा डिडवानियां बय हो रही है।

उत्तर : चहारदीवारी जैन आश्रम।

दक्षिण : सड़क कालोनी।

गवाहान :-

1. नाम : Ashok Kumar Pandey.
पिता का नाम : Shri V K Pandey.
पूरा पता : K.63/96 Bulanala VARANASI
हस्ताक्षर : A.K. Pandey.

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (नि०लि०)

श्रीमती [illegible] (नि०लि०)

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V. M. Upadhyay

Rajendra

V. M. Upadhyay

Rajendra

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह

श्री कृष्ण मुरारी [illegible]
टे० क० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

(13)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

10AB 848445

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

2. नाम : Chandra Shekhar Giri

पिता का नाम : Sri Nandlal Giri

पूरा पता : H.No. T.6 B Pahadam Chungi, Raj Ghat Varanasi

हस्ताक्षर : C.S. Giri

तहरीर तारीख :- 03-12-2010.

मसविदाकर्ता :-

एडवोकेट

कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी।

टाईपकर्ता :- मनोज यादव

मनोज यादव

चैम्बर नं० 5, कलेक्ट्रेट कचहरी, वाराणसी।

चन्द्रमौली उपाध्याय

चन्द्रमौली उपाध्याय

V.M. Upadhyay

V.M. Upadhyay

वीरेन्द्र प्रताप सिंह

नि० लि०

कृष्ण मुरारी तिवारी

दे० नं० लि०

उ० नि० II

वाराणसी

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादक कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी तिवारी
दे० न० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

हस्ताक्षर पढ़ने वाला-श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला-श्री [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)

[illegible]

उ० नि० II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

(15)

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादक कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

चन्द्रमौलि उपाध्याय

हस्ताक्षर

नाम निष्पादक कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

V.K. Upadhyay

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला–श्री [illegible] प्रताप सिंह
नि० लि०
सुनने वाला–श्री कृष्ण मुरारी [illegible]
टे० बै० लि०

उ० नि० II
वाराणसी

पढ़ने वाला–श्री [illegible] प्रताप सिंह
(नि० लि०)
सुनने वाला–श्री [illegible] पाण्डेय
(नि० लि०)
सत्य प्रतिलिपि

उ० नि०-II
वाराणसी

Scanned by CamScanner

16

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पढ़ने वाला-श्री [illegible] प्रताप सिंह (नि० लि०)

सुनने वाला-श्री [illegible] पाण्डेय (नि० लि०)

उप निबन्धक

पढ़ने वाला-श्री बिरेन्द्र प्रताप सिंह
नि०लि०

हस्ताक्षर

सुनने वाला-श्री कृष्ण मुरारी सिंह
द० लेखक

उ० नि० II
वाराणसी

उ० नि० II
वाराणसी

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा ३२ (ए) के अन्तर्गत
निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

हस्ताक्षर

नाम निष्पादन कर्ता/विक्रेता

दाहिने हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

बायें हाथ का

अंगुष्ठका	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठका

पढ़ने वाला–श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह [illegible]

सुनने वाला–श्री कृष्ण मुरारि [illegible]

उ० नि० II
वाराणसी

हस्ताक्षर

पढ़ने वाला–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह [illegible]

सुनने वाला–[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

17AA 922393

प्रदेश UTTAR PRADESH

नक्शा नजरी बाबत आराजी नम्बर मि0 296, रकबा 0.147 हेक्टेयर में से रकबा 1186.07 वर्गफीट यानी 110.23 वर्गमीटर वाका मौजा - कतौदी, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी।

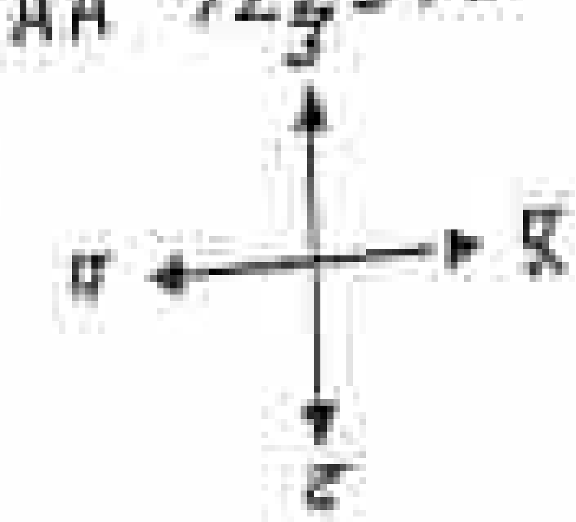

Drawn By: Manoj Yadav
Lic. No. 7, Collectorate Court, Varanasi